"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016 — आषाढ़ 17, शक 1938

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक 455/02838/ब–4/चार .– छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 7 सहपठित धारा 3 एवं धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"5. **राजकोषीय नियम और अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.**–2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए राजकोषीय नियम चौदहवें वित्त आयोग द्वारा उसकी रिपोर्ट के खंड एक की कंडिका 14.62 और 14.64 में राज्यों के लिए यथा विनिर्दिष्ट होंगे :

परंतु यह कि, जब अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) के अंतर्गत बाध्यता की पूर्ति में कोई विचलन होता है, धारा 6 की उप–धारा (1) के अंतर्गत समीक्षा के निष्कर्ष में धारा 6 की उप–धारा (3) के खंड (दो) द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हो सकते हैं।"

No. 455/02838/b-4/4 .—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Sections 3 and 6 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 5, the following shall be substituted, namely:—

"5. **Fiscal rules and measures to ensure compliance.**–The fiscal rules for the period 2015-16 to 2019-20 shall be as specified for the states by the Fourteenth Finance Commission in paragraphs 14.62 and 14.64 of Volume I of their report :

Provided that, where owing to unforeseen circumstances, any deviation is made in meeting the obligations under the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), the outcome of the reviews under sub-section (1) of Section 6 may also include the explanations, if any, required under clause (ii) of sub-section (3) of Section 6."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.